क्रम-संख्या—156(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023

भाद्रपद 28, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग—1

संख्या 13 / 2023 / 380 / 80-1—2023-600(20)-1994
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

प० आ०—477

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़ और खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (क्रशर इकाईयाँ गुड़ और खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह चीनी वर्ष के प्रारम्भ होने के दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

परिभाषायें

2—इस आदेश में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) से है;

(ख) "कृषि वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस आदेश से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(घ) "चीनी वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के अक्टूबर के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ङ) "क्रशर इकाई" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाली और मण्डी समिति द्वारा इस रूप में लाइसेन्स प्राप्ति किसी इकाई से है।

E-mail 18/10/23

3—इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यापारी, जिसके पास क्रशर इकाई के रूप में, मण्डी समिति का विधिमान्य लाइसेन्स हो, मण्डी शुल्क की ऐसी धनराशि, जो उसके प्रति चीनी वर्ष 2022—2023 तक के लिए देय हो, के बदले में एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है:

परन्तु यह कि यह योजना किसी मण्डी समिति द्वारा वहाँ कार्यान्वित की जायेगी जहाँ मण्डी क्षेत्र में स्थित कम से कम तीस प्रतिशत इकाईयां उक्त योजना के लिए विकल्प दें।

4—क्रशर इकाई के रूप में लाईसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी, जो एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दे, को इस आदेश के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर मण्डी समिति को प्रपत्र संख्या 1 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5—"खण्ड—4" में उल्लिखित आवेदन प्राप्त होते ही मण्डी समिति को इसमें विहित रीति से देय मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की एकमुश्त संदेय धनराशि का निर्धारण करना होगा।

6—चीनी वर्ष 2022—2023 में क्रय—विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर मण्डी शुल्क के बदले में किसी क्रशर इकाई से संग्रह की जाने वाली एकमुश्त धनराशि निम्नवत् होगी:—

क्रम संख्या	क्रशर इकाई (गुड़, खाण्डसारी आदि) का आकार और प्रकार	इकाई का प्रकार	चीनी वर्ष 2022—2023 के लिए प्रशमन धनराशि (रू० में)		
			मण्डी शुल्क	विकास उपकर	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	20x25.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्ति युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	2,30,488.00	1,15,244.00	3,45,732.00
2	20x25.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 25.5x30.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	3,15,903.00	1,57,951.00	4,73,854.00
3	25.5x30.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 28x35.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	4,69,111.00	2,34,555.00	7,03,666.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	8,56,872.00	4,28,436.00	12,85,308.00
4	28x35.5 सेन्टीमीटर से अधिक किन्तु 33.00x46.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन)	9,30,094.00	4,65,047.00	13,95,141.00
		(ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	13,25,989.00	6,62,994.00	19,88,983.00
5	33.00x46.00 सेन्टीमीटर से अधिक	(क) नान हाइड्रोलिक (बिना टरबाइन) (ख) हाइड्रोलिक/नान हाइड्रोलिक स्प्रिंगयुक्त युक्ति सहित (बिना टरबाइन)	26,35,710.00	13,17,855.00	39,53,565.00

7—यदि क्रशर इकाई टरबाइन युक्त है, तो वर्ष 2022—2023 के लिए प्रत्येक आकार हेतु उल्लिखित प्रशमन धनराशि पूर्ववर्ती धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

8—यदि क्रशर इकाई के रूप में लाइसेन्स प्राप्त किसी व्यापारी ने चीनी वर्ष 2022—2023 के सम्बन्ध में मण्डी शुल्क की किसी धनराशि का संदाय कर दिया हो और मण्डी शुल्क जो उसके द्वारा संदेय हो, के बदले में

वह एकमुश्त धनराशि संदाय करने का विकल्प देता है तो संदत्त मण्डी शुल्क की धनराशि, इस अधिसूचना के अनुसार अवधारित एकमुक्त धनराशि से घटा दी जायेगी।

9–घटाये जाने के पश्चात्, यदि कोई धनराशि अतिशेष रह जाती है तो उसका समायोजन अगले वर्ष में किया जायेगा, यदि इसके पश्चात भी कोई धनराशि अतिशेष में रह जाती है तो इसका समायोजन आगामी वर्षों में किया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा उसे नही दिया जायेगा।

10–क्रशर इकाई अपने उत्पादन का गेटपास मण्डी समिति से आनलाईन प्राप्ति करेगी। क्रशर इकाई के आनलाईन आवेदन पर अधिकतम दो घण्टे के भीतर मण्डी समिति गेटपास जारी करेगी।

11–योजना के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् चीनी वर्ष 2022–2023 के अन्त तक एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त कोई मण्डी शुल्क संदेय नहीं होगा। यदि कोई व्यापारी अपनी क्रशर इकाई द्वारा उत्पादित या प्रसंस्कृत मात्रा के अलावा अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय–विक्रय करने में संलिप्त रहता है तो उसे उस मात्रा के क्रय–विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर मण्डी शुल्क तथा विकास उपकर का संदाय वर्तमान दर पर करना होगा। यह धनराशि एकमुश्त धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12–(1) वर्ष के अन्त में, मण्डी समिति यह अवधारित करेगी कि व्यापारी ने अपनी इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुसार ही गेट पास जारी किया है। इस प्रयोजनार्थ, क्रशर इकाई को भण्डारण की मासिक स्थिति, सम्बन्धित समिति को प्रत्येक माह प्रस्तुत करनी होगी।

(2) पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए व्यापारीगण बाध्य होगें। मण्डी समिति किसी उचित समय पर क्रशर इकाई का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत होगी।

13–(एक) यदि किसी एकमुश्त धनराशि के संदाय के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी सकारण आदेश द्वारा उसका विनिश्चय किया जायेगा।

(दो) मण्डी समिति के विनिश्चय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर या ऐसे समय के भीतर जिसे समुचित मामलों में निदेशक द्वारा बढाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 32 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है।

14–ऐसा व्यापारी जो इस योजना का विकल्प दिया है, वह अपेक्षित एकमुश्त धनराशि का संदाय वर्ष में दो बराबर किश्तों में करेगा। प्रथम किश्त आवेदन के समय जमा की जायेगी तथा द्वितीय किश्त 30 दिनों के भीतर जमा की जायेगी।

15–इसके देय होने के पश्चात् यदि कोई एकमुश्त धनराशि असंदत्त रह जाती है तो इसकी वसूली, अधिनियम की धारा 20 के अनुसार की जायेगी।

अनुसूची

[खण्ड 2 (ङ) देखिये]

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद:–

1–गुड़

2–खाण्डसारी

3–राब

4–शक्कर

5–ताड़ गुड़ (जगरी)

प्रपत्र–1

(खण्ड 4 देखिये)

सेवा में,

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति.........

जिला..................................

महोदय,

मेरे पास विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद गुड़/खाण्डसारी/राब/शक्कर/ताड़ गुड़ (जगरी) के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए क्रशर इकाई के लिए कृषि उत्पादन मण्डी समिति........... जिला......... का विधिमान्य लाइसेन्स है। लाईसेन्स का विवरण निम्न प्रकार है:–

1– लाईसेन्स प्राप्त व्यापारी का नाम व पता ....

2– (क) लाईसेन्स संख्या ....

(ख) लाईसेन्स जारी किये जाने/नवीकरण का दिनांक ....

(ग) लाईसेन्स की समाप्ति का दिनांक ....

3– चीनी वर्ष 2022–2023 में क्रशर इकाई का आकार, स्वरूप और उत्पादन क्षमता ....

4–स्थान, जहां क्रशर इकाई स्थित है: ....

(क) ग्राम ....

(ख) नगर ....

(ग) तहसील ....

(घ) जिला ....

मैं एतदद्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (क्रशर इकाइयॉ गुड़ और खाण्डसारी) (मण्डी शुल्क का प्रशमन) आदेश, 2023 के अनुसार चीनी वर्ष 2022–2023 के संबंध में संदेय मण्डी शुल्क के बदले में एकमुश्त धनराशि में मण्डी शुल्क के भुगतान का विकल्प देता हूं।

अत: यह प्रार्थना है, कि पूर्वोक्त चीनी वर्ष (2022–2023) के लिए उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, एकमुश्त भुगतान की जाने वाली मण्डी शुल्क की धनराशि की गणना करने और स्वीकार करने की कृपा करें। गन्ना विभाग द्वारा जारी विधिमान्य लाईसेन्स की प्रति भी इसके साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं......................पूर्वोक्त आवेदक का स्वामी/भागीदार एतदद्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

....

हस्ताक्षर

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,

अपर मुख्य सचिव।

574 RPH (Krishi ... ran-1), 2023 Data 7e

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/2023/380/ LXXX-1–2023-600(20)-1994, dated September 19, 2023 :

No. 13/2023/380/ LXXX-1–2023-600(20)-1994

Dated Lucknow, September 19, 2023

IN exercise of the powers under sub-clause (b) of clause (iii) of section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utapadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964), the Governor is pleased to make the following order:-

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (CRUSHER UNITS GUR AND KHANDSARI)(COMPOUNDING OF MARKET FEE) ORDER, 2023

Short title and commencement

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Units Gur and Khandsari) (Compounding of Market Fee) Order, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the beginning of the sugar year dated 1st October, 2022 and shall be effective up to 30th September, 2023.

Defenitions

2. In this order-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. XXV of 1964) ;

(b) "Agricultural Year" means a Period of twelve months commencing from the first day of july of a calendar year;

(c) "Form" means a form appended to this order;

(d) "Sugar Year" refers to a period of twelve months commencing from the first day of October of a calendar year;

(e) "Crusher Unit" means a unit producing or processing one or more of the specified agricultural produce mentioned in the schedule and licensed as such by the Market Committee.

3.Subject to the provisions of this order, any trader who has a valid licence of market committee, as a crusher unit, may exercise his option for payment of lump-sum amount *in lieu* of such an amount of market fee which may be due against him in the sugar year 2022-2023:

Provided that this scheme shall be implemented by any Market Committee where at least thirty-percent units situated in the market area opt for the scheme.

4.Any trader licenced as crusher unit, who opts to pay the lump-sum amount shall submit his application in Form no.1 to the market committee within 30 days from the date of publication of this order in the *Gazette*.

5.As soon as the application mentioned in clause 4 is received, the market committee shall assess the lump-sum amount of the due market fee and development cess payable in the manner prescribed herein.

6. The lump-sum amount to be collected from a crusher unit *in lieu* of market fee on each transaction of sale and purchase in the sugar year 2022-23 shall be as follows:-

S.No.	Size and type of Crusher Unit (Gur, khandsari *etc.*)	Type of unit	Compounding Amount for the Sugar Year 2022-2023 (Rs.)		
			Market fee	Development cess	Total Amount
1	2	3	4	5	6
1	Not more than 20x25.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	2,30,488.00	1,15,244.00	3,45,732.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)			
2	More than 20x25.5 cm but not more than 25.5x30.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	3,15,903.00	1,57,951.00	4,73,854.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)			

S.No.	Size and type of Crusher Unit (Gur, khandsari *etc.*)	Type of unit	Compounding Amount for the Sugar Year 2022-2023 (Rs.)		
			Market fee	Development cess	Total Amount
1	2	3	4	5	6
3	More than 25.5x30.5 cm but not more than 28.00x35.5 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	4,69,111.00	2,34,555.00	7,03,666.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	8,56,872.00	4,28,436.00	12,85,308.00
4	More than 28.00x35.5 cm but not more than 33.00x46.00 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	9,30,094.00	4,65,047.00	13,95,141.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)	13,25,989.00	6,62,994.00	19,88,983.00
5	more than 33.00x46.00 cm	(A) Non Hydraulic (without Turbine)	26,35,710.00	13,17,855.00	39,53,565.00
		(B) Hydraulic/ Non Hydraulic with spring loaded device (without Turbine)			

7. If the crusher unit is turbine-equipped, then the compounding amount will be 10 percent more than the previous amount mentioned for each size for the year 2022-2023.

8. If any crusher unit licencee trader has paid any amount of market fee in respect of sugar year 2022-2023 and he opts to pay a lump-sum amount *in lieu* of market fee that may be payable by him, then the amount of market fee paid shall be deducted from the amount of lump-sum determined as per this notification.

9. After deduction, if any amount remains in balance then that will be adjusted in the next year, and after that if any amount remains in balance then its adjustment will be made in forthcoming years. It will not be given by the market committee.

10.The crusher unit shall get the gate pass of its production online from the market committee. On online application of crusher unit, the market committee shall issue the gate pass within maximum two hours.

11. After exercising the option for the scheme, no market fee except the lump-sum amount shall be payable till the end of the sugar year 2022-2023. If any trader indulges in the sale and purchase of the specified agricultural produce mentioned in the schedule, apart from the quantity produced or processed in his crusher unit, he shall have to pay market fee and development cess at the prevailing rate on each transaction of sale and purchase of that quantity. This amount shall be in addition to the lump-sum amount.

12. (1) At the end of the year, the Market Committee shall determine that the trader has issued gate passes according to the production capacity of his unit. For this purpose, the crusher unit shall have to furnish the monthly stock position to the respective committee every month.

(2) For the aforesaid purpose, traders shall be bound to submit the records, required by the Market Committee. Market committee is authorized to inspect crusher unit at any reasonable time.

13. (i) If any dispute arises in respect of payment of any amount of lump-sum, it shall be decided by the concerned market committee, by a speaking order, after giving the parties reasonable opportunity of being heard.

(ii) A revision under section 32 of the Act may be filed within 30 days or within such time as may be extended in appropriate cases by the Director against the decision of the market Committee.

14. The trader who has opted for this scheme, shall pay the required lump-sum amount of the year in two equal installments. First installment shall be deposited at the time of application and second installment shall be deposited within 30 days.

15. If any amount of lump-sum remains unpaid after it becomes due, it shall be recovered in accordance with section 20 of the Act.

SCHEDULE

[*See* Clause 2 (e)]

Specified Agricultural Produce:-

1-Gur

2-Khandsari

3-Rab

4-Shakkar

5-Jaggery

FORM-1

(*See* Clause 4)

To,

The Secretary,
Krishi Utpadan Mandi Samiti,
District..................

Sir,

I have a valid licence of Krishi Utpadan Mandi Samiti............,District................ for a crusher unit for producing/processing the specified agricultural produce Gur/ Khandsari/Rab/ Shakkar/ Jaggary. The details of the licence are as follows:-

1. Name and address of the licenced Trader ....
2. (a) Licence no ....
   (b) Date of issue/renewal of the licence ....
   (c) Date of expiry of the licence ....
3. Size, form and production capacity of the crusher unit in the sugar year 2022-2023 ....
4. Place where the crusher unit situated
   (a) Village ....
   (b) City ....
   (c) Tehsil ....
   (d) District ....

I hereby exercise my option of payment of market fee in lump-sum *in lieu* of the market fee that may be payable in respect of the sugar year 2022-23 accordance with the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Crusher Unit Gur and Khandsari) (Compounding of Market fee) order, 2023.

It is therefore, prayed that the amount of Market fee to be paid in lump-sum be calculated and accepted as per provision of the said order for the aforesaid sugar year (2022-23). The copy of valid licence, issued by sugarcane department is also attached herewith.

Yours faithfully

Signature of the Applicant.

Verification

I..................owner/partner...............of aforesaid applicant do hereby verify that the information given above is true to my personal knowledge and belief.

....

Signature

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 574 राजपत्र–2023–(1776)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

574 RPH (Krishi Viparan-1), 2023 Data 7e